Annexure_12.1

छत्तीसगढ़ शासन
मुख्य सचिव कार्यालय
मंत्रालय, महानदी भवन – नया रायपुर

क्रमांक 1714/मु.स./2014 नया रायपुर, दिनांक 12 सितम्बर, 2014

प्रति,

समस्त अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव
छत्तीसगढ़, शासन,
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागायुक्त / कलेक्टर (नाम से)
छत्तीसगढ

विषयः– वन संरक्षण अधिनियम – 1980 अंतर्गत गैर वानिकी कार्य हेतु दुगुने बिगड़े वनों का वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु उपयोग बाबद्।

संदर्भः– भारत सरकार – पर्यावरण एवं वन मंत्रालय का परिपत्र क्रमांक / एफ.न. 11–317 / 2014–एफ.सी (पी.टी) दिनांक 25.08.2014

छत्तीसगढ़ राज्य में विकास कार्यो हेतु वन भूमि की परियोजनाओं में आवश्यकता होती है। इस हेतु उपयोग में ली जा रही वन भूमि चाहे वह आरक्षित, संरक्षित या राजस्व वन भूमि हो, के बदले में वैकल्पिक वृक्षारोपण का प्रावधान है, जिससे वन क्षेत्र का ह्रास न हो।

पूर्व में भारत सरकार ने यह निर्देश जारी किये थे कि जिन राज्यों में 50 प्रतिशत से अधिक वन क्षेत्र हैं, उन्ही राज्यों में दुगने बिगड़े वन क्षेत्रों में वैकल्पिक वृक्षारोपण मान्य होगा। इस के कारण छत्तीसगढ जैसे राज्य, जिनका वन आवरण 50 प्रतिशत से आंशिक कम था, में विकास कार्य धीमे हो गए थे। इस तथ्य को भारत सरकार के संज्ञान में लाया गया।

इस बाबद् भारत सरकार ने अब नीतिगत निर्णय में परिवर्तन किया है, तथा संलग्न परिपत्र अनुरूप वन संरक्षण अधिनियम अंतर्गत परियोजनाओं हेतु बिगडे वन क्षेत्रों का चयन कर वैकल्पिक वृक्षारोपण योजना तैयार की जा सकती है। इसके साथ ही यदि राजस्व वन भूमि या निजि भूमि आवेदक संस्थान देता है तो वह भी मान्य की जा सकेगी।

तदनुसार कार्यवाही कर परियोजनाओं के क्रियान्वयन में गति लावें।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार।

(विवेक ढाँड)
मुख्य सचिव
छत्तीसगढ़ शासन

कलेक्टर कार्यालय
22 SEP 2014

Scanned with CamScanner

Annexure_12.2

छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय
महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर
जिला–रायपुर

07 AUG 2023

क्रमांक 5554 /32/टीएल/2023/सात–1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक /07/2023

प्रति,

कलेक्टर,
जिला–दंतेवाड़ा
छत्तीसगढ़।

विषयः– **दंतेवाड़ा जिले के दंतेवाड़ा वनमण्डल अंतर्गत वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अंतर्गत वन भूमि के गैर वानिकी उपयोग हेतु** NMDC-CMDC Ltd. **के** "Proposal for diversion of Forest Land for Bailadila Iron Ore Deposit-4" **हेतु क्षेत्रफल रकबा 670.177 हे. के अतिरिक्त रकबा 12.095 हे. कुल रकबा 682.2722 हेतु व्यपवर्तन प्रस्ताव तैयार करने बाबत्।** (Reg.No. FP/CG/MIN/146694/2021)

संदर्भः– आपका पत्र क्रमांक 4857/रीडर–1/2022, दिनांक 28.07.2023

---------00000-----------

उपरोक्त विषयांतर्गत संदर्भित पत्र के परिप्रेक्ष्य में NMDC-CMDC Ltd. के "Proposal for diversion of Forest Land for Bailadila Iron Ore Deposit-4" हेतु क्षेत्रफल रकबा 670.177 हे. के अतिरिक्त रकबा 12.095 हे. कुल रकबा 682.2722 हे. के संबंध में चयनित स्थल पर राजस्व भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण मुख्य सचिव महोदय द्वारा हस्ताक्षरित भूमि का अनुपलब्धता प्रमाण–पत्र की छायाप्रति आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

संलग्न– उपरोक्तानुसार।

Patel
(उमेश कुमार पटेल)
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

पृ. क्रमांक 5555 /32/टीएल/2023/सात–1 नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 07 AUG 2023 /07/2023

प्रतिलिपिः–

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ अग्रेषित।

Patel
अवर सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

OFFICE OF THE CHIEF SECRETARY
GOVERNMENT OF CHHATTISGARH
Mahanadi Bhawan, Mantralaya,
Nawa Raipur Atal Nagar

5529.
No. /32/TL/2023/7-1

02 AUG 2023
Nawa Raipur. Dated July, 2023

Subjet:- Certificate of Non-availability of Land for Compensatroy Afforestation.

I, Amitabh Jain, Chief Secretary, Govt of Chhattisgarh do hereby certify that:

(1) Relevant records pertaining to non-forest land, revenue lands, zudpi jungle, chhote jhar ka jungle, bade jhar ka jungle, jhari land, civil-soyam lands and all other such categories of forest lands (except the forest land under management and administrative control of the Forest Department) on which the provisions of the Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable, available in each district of Chhattisgarh have been examined: and

(2) I have also conducted such further enquiry as is required to satisfy myself for issue of this certificate.

On the basis of examination of relevant records and such further enquiry, as was required for issue of this Certificate, I do hereby certify that non-forest land, revenue lands, zudpi jungle, chhote jhar ka jungle, bade jhar ka jungle, jhari land, civil-soyam lands and all other such categories of forest lands (except the forest land under management and administrative control of the Forest Department) on which the provision of the Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable, which as per the extant guidelines of the Central Government maybe utilised for creation of compensatory afforestation in lieu of forest land diverted for non-forest purpose, is not available in the entire Chhattisgarh.

(3) This certificate is being issued for the following project:-

S.No.	Name of Scheme	Name of District	Affected forest land in Hectares
1.	NMDC-CMDC Ltd. "Proposal for diversion of Forest Land for Bailadia Iron Ore Deposit-4"	Dantewada	682.2722 hectares six hundred eighty-two point two seven two two

Issued under my hand and seal on this......day of July, 2023.

(Amitabh Jain)
Chief Secretary
Government of Chhattisgarh

Letter 2021